बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

जून 2018

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

इंडेक्स पेज नं.

(A) अभियंताओं / वास्तुविदों / संवेदकों / राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण 01

(B) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 03

(C) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 04

(D) नाविकों एवं नाव मालिकों प्रशिक्षण 06

(E) नौकाओं के निबंधन हेतु निबंधकों / सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण 08

(F) 'तैराकी से सुरक्षा (Safe Swim) कार्यक्रम पायलट / ट्रायल प्रशिक्षण लिए मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 09

(G) बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (1–7 जून), 2018 11

(H) आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 17

(I) बिहार भूकम्पमापी तंत्र की स्थापना 19

(J) **Heat Action Plan** 19

(K) "Management of Animals in Emergencies" विषय पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशु चिकित्सकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 20

(L) विभिन्न आपदाओं से सुरक्षा हेतु जन–जागरूकता एवं मॉकड्रिल 21

(M) **Mass Messaging/Whatsapp Advisory** 22

(N) अखबारों में प्रकाशित **Advisory** 23

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सीतामढ़ी जिले के राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

मासिक प्रतिवेदन (जून, 2018)

(A) अभियंताओं / वास्तुविदों / संवेदकों / राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

(1) मई 2018 तक **242 (77+165) राजमिस्त्रियों** को प्रशिक्षित किया गया था। जून 2018 में दिनांक 04–10 जून 2018 एवं 18–24 जून 2018 को सीतामढ़ी जिला के विभिन्न प्रखण्डों में कुल 204 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया। यह संख्या पटना एवं मधपुरा में राजमिस्त्रियों के ट्रायल प्रशिक्षण के अतिरिक्त है।

(2) इसके अतिरिक्त दिनांक 13 से 14 जून 2018 को मुख्यालय स्तर पर राजमिस्त्रियों के 33 प्रशिक्षिकों का रिफ्रेशर कोर्स चलाया गया।

(3) जनवरी 2017 से मई 2018 तक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मुख्यालय एवं जिलों में पदस्थापित विभिन्न स्तरों के कुल 898 एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल 64 अभियंताओं को प्रशिक्षित किया गया था। दिनांक 20 से 23 जून 2018 को सीतामढ़ी जिले में पदस्थापित 60 अभियंताओं का पशिक्षण सीतामढ़ी मुख्यालय में सम्पन्न हुआ है। इस प्रकार जून 2018 तक कुल 898+64+60=1022 अभियंताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

रून्नीसैदपुर ब्लॉक के राजमिस्त्रियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान निर्मित मॉडल

जून 2018 में संचालित कार्यक्रमों का विवरण

Sr. No.	Name of Program	Date	Location	Remarks
1	**2 days Refresher Course at BSDMA, Patna**			
	Mason Trainer Refresher Course	13-14 June 2018	BSDMA, Patna	No. of Participants- 33
2	**7 days mason training at 8 blocks of Sitamarhi district**			
	Block – Bajpatti	04-10 June 2018	Block Campus, Bajpatti	No. of mason trained- 28
	Block - Pupri	04-10 June 2018	Block Campus, Pupri	No. of mason trained- 22
	Block – Choraut	04-10 June 2018	High School, Charaut	No. of mason trained- 24
	Block - Nanpur	04-10 June 2018	Middle School, Nanpur (South)	No. of mason trained- 26
	Block – Belsand	18-24 June 2018	Block Campus	No. of mason trained- 28
	Block - Parsauni	18-24 June 2018	Block Campus	No. of mason trained- 27
	Block – Runisaidpur	18-24 June 2018	Block Campus (Hindi Bhawan)	No. of mason trained- 24
	Block - Bokhara	18-24 June 2018	Nearby Block Campus at under construction Kisan Bhawan	No. of mason trained- 25
	Total No. of Mason Trained in June 2018			**204**
3	**4 Days District Engineers Training at Sitamarhi.**			
	District- Sitamarhi	20-23 June 2018	Dumra, Sitamarhi	No. of Trained Engineers 60

(B) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राधिकरण की बैठकों (10वी एवं 11वी) के निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर दो दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से जनवरी 2018 से प्रारंभ किया गया है।

वर्तमान में जिला स्तर पर पदस्थापित बि.प्र.से. के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बिपार्ड में चल रहा है। माह मई 2018 तक कुल 426 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

माह जून में चार चरणों में कुल 83 पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है जिसका विवरण निम्न है–

दिनांक	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
05–06 जून, 2018	22
12–13 जून, 2018	20
19–20 जून, 2018	08
26–27 जून, 2018	33
कुल	**83**

इस प्रकार जून 2018 तक बि0प्र0से0 के कुल 426+83=509 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 13.06.2018 में प्राधिकरण को दिए गए निदेशों के अनुरूप जून माह में बाढ़ प्रवण जिलों में स्थानांतरित आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गैर अनुभवी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों का प्रशिक्षण जुलाई माह से बिपार्ड में प्रारंभ किया जा रहा है। इनके प्रशिक्षण के सम्पन्न हो जाने के उपरांत बि.प्र.से. के शेष पदाधिकारियों का प्रशिक्षण पुनः प्रारंभ किया जाएगा।

(C) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की एक झलक

1. राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षणः–

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय गतिविधियों यथा प्रत्येक जिलों के मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (29 जनवरी से 19 अप्रैल) एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के एक दिवसीय उन्मुखीकरण (14 मई से 19 मई) के पश्चात बिहार के जिलों में जिला स्तरीय प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 21 मई से प्रारम्भ हुआ। प्राप्त सूचनानुसार जिला कैमूर एवं औरंगाबाद को छोड़कर बाकी सभी 36 जिलों में जिला स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जून माह तक संपन्न हो चुका है। कैमूर एवं औरंगाबाद जिला में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई में प्रस्तावित है।

2. प्रखंडस्तरीय प्रशिक्षणः–

इस कार्यक्रम के तीसरे चरण के रूप में विद्यालयवार फोकल शिक्षकों का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 से अधिक जिलों, यथा, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुंगेर, सीवान, बांका, जमुई, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय, कटिहार, सहरसा, नालन्दा, नवादा, बक्सर, पटना, समस्तीपुर इत्यादि में जून माह में प्रारम्भ हो चुका है। इस चरण में सभी विद्यालयों से एक–एक फोकल शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाना है।

साथ ही इस कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए एक डाटा फॉर्मेट भी विकसित किया गया है जिसे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के माध्यम से सभी जिलों में भेजा जाना है जिसके आधार पर हर जिले के हर स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण एवं अन्य अनुसांगी कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अंकित होगा। इसके साथ साथ प्रत्येक विद्यालयों के फोकल शिक्षको का भी डाटा बेस तैयार हो जायेगा।

3. हर वर्ष की भांति वर्ष 2018 में भी विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा (1–15 जुलाई) एवं विद्यालय सुरक्षा दिवस (4, जुलाई) मनाने की तैयारी जून माह में की गयी। विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा (1–15 जुलाई) के सम्बन्ध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक द्वारा एक विस्तृत पत्र सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजकर निदेशित किया गया कि पखवाड़ा के ही दौरान "सुरक्षित शनिवार" की वार्षिक सारणी में वर्णित प्रारम्भिक कार्यों को दिन–प्रति–दिन के आधार पर संपन्न करना है। इसमें विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन, हजार्ड हंट, एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण शामिल है। साथ ही, इस पत्र में संकुल स्तर पर बाल प्रेरकों के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के मॉड्यूल को भी स्पष्ट चर्चा की गई है।

4. राज्य स्तर पर विद्यालय सुरक्षा दिवस (4 जुलाई) के अवसर पर एक मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन गाँधी मैदान में किया जाएगा। इस मेगा मॉक ड्रिल कार्यक्रम में 6000 स्कूली बच्चों के द्वारा भूकंप से सम्बंधित मॉक ड्रिल, Pre & Hospital Treatment से सम्बंधित प्रदर्शन तथा अगलगी एवं सड़क दुर्घटना से सम्बंधित नुक्कड़ नाटक किया जाएगा। पटना शहर के विभिन्न क्षेत्रों के 21 विद्यालयों को चिन्हित कर 6000 स्कूली बच्चों को NDRF एवं SDRF के द्वारा उपरोक्त मॉक ड्रिल, प्रदर्शन एवं नुक्कड़ नाटक से सम्बंधित पूर्व प्रशिक्षण जून माह में दिया गया।

(D) नाविकों एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण

प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से चयनित 29 जिला में जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से नाविकों एवं नाव मालिकों को सुरक्षित नौका चालन का प्रशिक्षण दिया जाना है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा विकसित हस्त पुस्तिका सभी नाविकों एवं नाव मालिकों को उपलब्ध करायी गयी है एवं करायी जा रही है एवं प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा रहा है। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार गत माह मई तक 12 जिलों के कुल 2851 नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया गया

था। माह जून में पूर्वी चम्पारण में कुल 407 एवं मुंगेर में कुल 163 नाविक एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जून माह क प्रशिक्षण का विवरण निम्नांकित हैः–

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रशिक्षित नाविकों एवं नाव मालिकों की संख्या
1.	पूर्वी चम्पारण	407
2.	मुंगेर	163
	कुल	**570**

इस प्रकार अब तक कुल 2851+570=3421 नाविक/नाव मालिक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। अनुश्रवण के दौरान सूचना प्राप्त है कि निम्नांकित 11 जिलों में भी प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है, परन्तु प्रशिक्षितों की संख्या एव विवरणी प्राप्त नहीं हो सकी हैः

क्रम संख्या	जिला का नाम
1.	पटना
2.	सारण
3.	भोजपुर
4.	खगड़िया
5.	लखीसराय (एक बाढ़ प्रवण ब्लॉक को छोड़कर)
6.	मुजफ्फरपुर
7.	बगुसराय
8	सिवान
9	गोपालगंज
10.	पश्चिमी चम्पारण
11.	शेखपुरा

शेष 4 जिलों, यथा, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी एवं नालन्दा में इस वर्ष की संभावित बाढ के पहले नाविकों/नाव मालिकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने हेतु पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(E) नौकाओं के निबंधन हेतु निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण

नौकाओं के सर्वेक्षण एवं निबंधन हेतु विभिन्न जिलों में आदर्श नौका नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा अधिसूचित निबंधकों/सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत गत मई माह तक कुल 6 बैचों में 11 (अति बाढ़ प्रवण एवं बाढ़ प्रवण) जिलों के कुल 136 निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण NINI, (गायघाट, पटना) में कराया जा चुका है। वर्त्तमान माह जून 2018 की प्रगति निम्नवत है:–

सत्र संख्या	तिथि	प्रशिक्षण में शामिल जिलें	स्थान	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षु
1.	06.06.2018 से 08.06.2018	मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर	NINI गाय घाट, पटना	21
		कुल		**21**

इस प्रकार जून माह तक 13 जिलों के कुल 136+21= 157 निबंधकों/सर्वेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(F) डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम/न्यूनीकरण हेतु 'तैराकी से सुरक्षा' (Safe Swim) कार्यक्रम के लिए मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण

प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (NINI) के सहयोग से डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम/न्यूनीकरण हेतु **"सुरक्षित तैराकी"** कार्यक्रम के लिए तैयार की गई प्रशिक्षण मॉड्यूल की सामुदायिक स्तर पर व्यावहारिकता/उपयोगिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना, वैशाली एवं सारण जिलों के कुल 29 मास्टर प्रशिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 18.06.2018 से 22.06.2018 तक NINI में सम्पन्न कराया गया। मास्टर प्रशिक्षक के रूप में पटना जिला से 9, वैशाली जिला से 10 एवं सारण जिला से 10 व्यक्तियों को मास्टर प्रशिक्षकों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण का विवरण निम्नवत है:–

सत्र संख्या	तिथि	प्रशिक्षण में शामिल जिलें	स्थान	कुल प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक
1.	18.06.2018 से 22.06.2018	पटना,वैशाली सारण		09+10+10
		कुल		29

इन प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से संबंधित जिलों में "तैराकी से सुरक्षा" कार्यक्रम के अर्न्तगत 6–18 वर्ष के बच्चों/बच्चियों को तैराकी सिखाने का कार्य किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मुख्यतः पायलट प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार बारहमासी नदियों अथवा तालाबों के सुरक्षित घाटों की बैरिकेडिंग कर अस्थाई तरणताल निर्माण कर 30 बच्चों का बैच बनाकर 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है।

पायलट प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण माड्यूल के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों की जानकारी के लिए प्राधिकरण स्तर पर गठित तकनीकी अनुसमर्थन सह अनुश्रवण दल द्वारा पायलट प्रशिक्षण की गुणवत्ता जाँच एवं अनुश्रवण किया जाएगा। पायलट प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों से सीख लेते हुए प्रशिक्षण माड्यूल एवं रणनीति में आवश्यक सुधार कर इस कार्यक्रम को विस्तारित किया जा सकेगा।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(G) बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (1–7 जून), 2018

राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रति वर्ष दिनांक 1–7 जून को राज्य भर में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह प्राधिकरण के द्वारा राज्य स्तर पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गयीं। साथ ही प्राधिकरण के दिशा–निर्देश में बाढ़ प्रवण जिलों में भी जन–जागरूकता संबंधी विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय गतिविधियों की एक झलक नीचे दी गयी है:–

(क) शहरी बाढ़ विषय पर दिनांक 01.06.2018 को राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2018 क प्रथम दिवस पर शहरी क्षेत्र में बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य से दिनांक 1 जून 2018 को शहरी बाढ़ पर एक दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन पटना में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री दिनेश चन्द्र यादव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया गया तथा सुरेश शर्मा, माननीय मंत्री नगर विकास विभाग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, श्री चैतन्य प्रसाद ने भी विमर्श में भाग लिया तथा संबोधित किया। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ/प्रतिनिधि, बिहार राज्य के राज्यस्तरीय विभागों के पदाधिकारी, विभिन्न नगर

निगमों/निकायों के सरकारी पदाधिकारी, महापौर, वार्ड पार्षद सदस्य, गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि एवं अन्य सम्बंधित हितभागियों सहित कुल 150 से अधिक लोगों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों/विशेषज्ञों से प्राप्त सुझाओं के आलोक में बाढ़ की विभीषिका से शहर/ नगर निकायों को सुरक्षित बनाने के दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्र में बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु समेकित कार्ययोजना के रूप में पटना घोषणा पत्र (Patna Declaration) जारी किया गया। पटना घोषणा पत्र अनुलग्नक–1 पर दृष्टव्य है।

(ख) दिनांक 02.06.2018 को बाढ़ के दौरान मानव एवं पशु की रक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रमः–

वैशाली जिला के राघोपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत रूस्तमपुर ग्राम में एस0डी0आर0एफ0 के सौजन्य से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाढ़ के समय बरती जाने वाली सावधानियों एवं सर्प दंश से पिड़ित व्यक्तियों के उपचार संबंधी भ्रांतियों के संबंध में स्थानीय लोगों को बताया गया। साथ ही स्थानीय साधनों से बाढ़ में डूबते व्यक्तियों को बचाने का जीवित प्रदर्शन (Live demonoration) किया गया। इसके अतिरिक्ति स्थानीय साधनों से बाढ़ में जानवरों को डूबने से बचाने एवं पानी से निकालने के तरीके बताए गए एवं बचाव के तरीकों का जीवित प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यास जी, सदस्य श्री पी0 एन0 राय, वैशाली जिला प्रशासन के पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।

(ग) दिनांक 4 जून, 2018 को ''Management of Animals in Emergencies'' विषय पर पशु चिकित्सकों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

बिहार में आनेवाली आपदाओं से मानव ही नही बल्कि पशु भी प्रभावित होते है। आपदाओं की स्थिति में मानव के साथ–साथ पशु संसाधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है जिसका कुप्रभाव पशु पालकों की आजिविका पर गहरा असर डालता है। अतएव आपदाओं की स्थिति में पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन करने हेतु पशु चिकित्सकों का कौशल विकास आवश्यक हो जाता है।

उक्त पृष्ठ भूमि में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार भेटनरी कॉलेज, World Animal Protection (WAP) और Policy Perspectives Foundation (PPF) के सहयोग से बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (1–7 जून, 2018) में दिनांक 04 जून से आपदाओं में पशुधन का प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया।

इस प्रथम प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन 04 जून 2018 को बिहार भेटनरी कॉलेज के सभागार में श्री दिनेश चन्द्र यादव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, सदस्य श्री पी0एन0 राय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पूर्व सदस्य डॉ0 मुजफ्फर अहमद तथा श्री के. एम. सिंह, बिहार पशु विज्ञान महाविद्यालय के कुलपति डा0 रामेश्वर सिंह एवं बिहार भेटनरी कॉलेज के प्राचार्य तथा डीन डा0 सामंतरे ने भी संबोधित किया। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 35 पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाना है। प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा विकसित प्रशिक्षण हस्त पुस्तिका एवं माड्यूल सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया गया।

(घ) दिनांक 05.06.2018 को ''पारंपरिक जल निकायों का संरक्षण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तरीय विमर्श का आयोजन

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (2015–30) में पारम्परिक जल स्त्रोतों का संरक्षण आपदाओं से निपटने की रणनीति के रूप में उल्लेखित किया गया है।

इसके मद्देनजर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ ''पारम्परिक जल निकायों का संरक्षण एवं प्रबंधन'' पर राज्यस्तरीय विमर्श का आयोजन दिनांक 5 जून को किया गया। पारम्परिक जल निकायों के अतिक्रमण हो जाने/स्वरूप परिवर्त्तन होने की स्थिति में बाढ़/जल जमाव की समस्या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हो रही है। साथ ही पारम्परिक जल स्त्रोतों के सिकुड़ते जाने के कारण जल पुनर्भरण में कमी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इन श्रोतों का पुनर्रूद्धार हेतु सभी संबंधित हितभागियों, संस्थाओं, पंचायत प्रतिनिधियों एवं समुदाय की भागीदारी कैसे प्राप्त की जाय, इस पर विचार किया गया तथा सर्व सम्मति से समस्या के निपटने के तत्कालिक एवं दूरगामी प्रयास हेतु पटना घोषणा पत्र जारी किया गया। सहमति बनी कि सुखाड़ एवं जल संकट का सामना करने हेतु पारम्परिक जल स्त्रोतों का संरक्षण एवं प्रबंधन अत्यंत जरूरी है जिसे सरकार सहित संबंधित हितभागियों के सहयोग से किया जा सकता है।

इस विषय पर जारी पटना घोषणा पत्र अनुलग्नक–2 पर द्रष्टव्य है।

''

(ड़) दिनांक 06.06.2018 को पटना के पानापुर (दानापुर) दियारा में बाढ़ से बचाव पर NDRF मॉकड्रिल का आयोजन

जन–जागरूकता के इस कार्यक्रम द्वारा लोगों को बाढ़ से बचाव एवं जान–माल की क्षति को कम करने की विधि को NDRF के सहयोग से बताया गया। NDRF द्वारा घायल व्यक्तियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा तथा/डूबते हुए लोगों को बचाने की विधि को दर्शाया गया। बाढ़ के समय सर्पदंश की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। ऐसे में सर्पदंश से घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा के साथ–साथ अस्पतालों तक पहुँचाने तथा घायल व्यक्ति के उपचार की विधि को लोगों के बीच दर्शाया गया।

SDRF द्वारा बाढ़ के पानी से मवेशियों को निकालने के improvised विधि का जीवित प्रदर्शन गंगा नदी में दर्शाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एन0डी0एम0ए0 के पूर्व सदस्य श्री के0 एम0 सिंह तथा डॉ0 मुजफ्फर अहमद थे। इस अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्री व्यास जी एवं सदस्य, श्री पी0 एन0 राय उपस्थित रहें।

(च) दिनांक 07.06.2018 को सामाजिक सेक्टर के महत्वपूर्ण विषय पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बाढ़ पूर्व तैयारी पर कार्यशाला का आयोजन –

सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य एवं पोषण) की सेवाओं की बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु दिनांक 07.06. 2018 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

बिहार के 28 जिले अति बाढ़ प्रवण एवं बाढ़ प्रवण हैं जिसमें उत्तरी बिहार में कुछ जिले प्रत्येक वर्ष बाढ़ की मार झेलते रहते हैं। हाल के वर्षों में पाया गया है कि दक्षिणी बिहार के जिले भी किसी न किसी कारण जैसे, पड़ोसी राज्यों में अत्यधिक वर्षा एवं जलाशयों से अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ से प्रभावित हो रहें है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित गर्भवती महिलाएँ एवं बच्चे होते हैं। इस कारण बाढ़ के दौरान इस संवेदनशील समूह को कम परेशानी का सामना करना पड़े, इस हेतु हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण सेवाओं की पूर्व तैयारी की आवश्यकता क मद्देनजर उक्त कार्यशाला का आयोजन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन समाज कल्याण विभाग की माननीय मंत्री सुश्री मंजू वर्मा ने किया। कार्यशाला में अन्य के अलावा समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सर्व श्री अतुल प्रसाद एवं श्री संजय कुमार तथा ICDS निदेशालय के निदेशक श्री रमाशंकर दफ्तुआर भी उपस्थित रहे।

इस कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग एवं समेकित बाल विकास परियोजना के पदाधिकारियों ने भाग लेकर बाढ पूर्व तैयारी योजना को कैसे क्रियान्वित किया जायेगा इस पर गहन चर्चा की एवं योजना स्वरूप पटना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।

पटना घोषणा पत्र अनुलग्नक–III पर द्रष्टव्य है।

(H) आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यकम।

1. राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण

बिहार राज्य के बहु–आपदा के संबंध में पंचायत स्तर तक आपदा जोखिम की पहचान, उनके न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संबंधी जनजागरूकता के उद्देश्य से सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड से चयनित एक–एक मुखिया एवं सरपंच को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ''मास्टर ट्रेनर'' का प्रशिक्षण प्राप्त किये मुखिया एवं सरपंचों के द्वारा जिलों में प्रखंड स्तर पर प्रत्येक प्रखंड के सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, जिलों में पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है तथा दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षित मुखिया/सरपंच एव वार्ड सदस्य/पंच द्वारा ग्राम सभा/वाड सभा के माध्यम से पंचायत स्तर तक जन समुदाय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के संबंध में संवेदित किया जाना है। इससे आपदाओं का सामना करने हेतु जन समुदाय का क्षमतावर्धन हो सकेगा। इस प्रकार ''बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–2030'' के उद्देश्य के अनुरूप ''सुरक्षित बिहार'' के संकल्प को पूरा करने में मदद प्राप्त होगी।

अप्रिल माह के प्रतिवेदन में माह मार्च 2018 तक 7 जिलों के मात्र 158 मुखिया एवं सरपंचों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण की सूचना भूलवश अंकित कर दी गई है, परन्तु माह मार्च तक 14 जिलों के 370 मुखिया/सरपंच का मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया गया है। इसी प्रकार माह अप्रिल में तीन जिलों के 87 एवं माह मई में 8 जिलों के 206 मुखिया, सरपचों को प्रशिक्षित किया गया है।

जनवरी से मई 2018 तक मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित मुखिया, सरपंचों की माह वार संशोधित सूची निम्नवत है:–

माह	जिलों की संख्या	प्रशिक्षित
जनवरी	01	35
फरवरी	09	191
मार्च	04	144
अप्रिल	03	87
मई	08	206
कुल	**25**	**663**

इस प्रकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत मई माह तक कुल 25 जिलों के 663 मुखिया/सरपंच का मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया था। प्राधिकरण द्वारा माह

जून 2018 में चयनित मुखिया एवं सरपंचों को ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नुसार आयोजित किया गया है:–

क्रम	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	05–06 जून, 2018	भोजपुर, शेखपुरा, गोपालगंज, जहानाबाद, पूर्णिया, भागलपुर एवं खगड़िया।	40
2	12–13 जून, 2018	गया, भागलपुर, भोजपुर एवं शेखपुरा।	47
3	19–20 जून, 2018	रोहतास, अरवल, गया, शेखपुरा, बांका, भागलपुर एवं पूर्णिया।	33
4	26–27 जून, 2018	औरंगाबाद, नावादा, रोहतास, अरवल, भोजपुर एवं भागलपुर।	52
		कुल	**172**

विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में उन जिलों के भी प्रतिभागी शामिल हुए जो पूर्व में अपने जिलों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए थे। इस प्रकार जून माह तक 22 बैचों में 32 जिलों के 663+172=835 मुखिया एवं सरपंच के मास्टर ट्रेनर क प्रशिक्षण का कार्यक्रम सम्पन्न किया जा चुका है।

2. राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिलों में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण:–

पंचायती राज संस्थानों के जन प्रतिनिधियों के प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा जिलों को आवश्यक वितीय सहयोग दिया जा रहा है। अब तक निम्नांकित जिलों से पखंड स्तर पर जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किए जाने की सूचना प्राप्त हः–

1. मधुबनी 2. मधेपुरा 3. दरभंगा 4. पूर्वी चम्पारण 5. सुपौल 6. पटना 7. सारण 8. सहरसा 9. सीतामढ़ी, 10. शिवहर 11. किशनगंज 12. नालंदा 13. सिवान 14. समस्तीपुर 15. मुजफ्फरपुर 16. वैशाली

प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षितों का आंकड़ा जिलों से प्राप्त किया जा रहा है, ताकि डाटा बेस तैयार किया जा सके।

(I) बिहार भूकम्पमापी तंत्र की स्थापना

(I) भूकम्पमापी तंत्र के केन्द्रीय संग्रहण केन्द्र पटना साइंस कॉलेज में स्थापना के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर प्रस्तावित है। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति से इस संबंध में अनुरोध किया गया है।

(II) बिहार भूकम्पमापी तंत्र के अंतर्गत 10 (दस) क्षेत्रीय वेधषालाओं का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, लि0 निर्माण एजेन्सी के रूप में चयनित है। 4 वेधषालाओं में कार्य प्रगति पर है।

(III) शेष प्रस्तावित वेधषालाओं के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए भवन निर्माण निगम के उच्चधिकारियों के साथ दिनांक 15.06.2018 एवं 18.06.2018 को बैठक की गई। चूंकि वेधषालाओं की विशिष्टयों में कतिपय संसोधन किये गए हैं, अतः संशोधित Estimate पर चर्चा की गई, जिसमें करीब 20% की बढ़ोतरी की संभावना है। इन बैठकों में निर्णय लिया गया कि संशोधित Estimate, प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु शीघ्र भेजा जाएगा।

महत्वपूर्ण :– बिहार भूकम्प मापी तंत्र की स्थापना हेतु बजटीय उपबंध की प्रत्यशा में अग्रेत्तर कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2018–19 के प्राधिकरण के बजट में आपदा प्रबंधन विभाग ने राशि का उपबंध किया है। परन्तु अब तक वर्ष 2018–19 के बजट की राशि प्राधिकरण को विमुक्त नहीं हो पाने के कारण इस कार्यक्रम की भौतिक प्रगति अवरूद्ध हो जाने की संभावना है।

(J) Heat Action Plan

प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 2(h) के प्रावधानों के अंतर्गत गर्म हवाओं एवं लू के शमन, पूर्व तैयारी एवं रिस्पांस संबंधी मार्गदर्शिका Bihar Heat Action Plan के नाम से तैयार की गयी है जिसका अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जून माह में प्राप्त हो गया है। इसे सभी हितधारकों को आवश्यक कार्यार्थ भेजा जा रहा है।

(K) ''Management of Animals in Emergencies'' विषय पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशु चिकित्सकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है, जहाँ सभी तरह की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती है। यह राज्य जहाँ एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ के प्रकोप को झेलता है वहीं दूसरी ओर सुखाड़, अग्निकांड, शीतलहर एवं लू इत्यादि आपदओं से भी इस राज्य का एक बड़ा भू–भाग प्रभावित रहता है। इन आपदाओं से मानव ही नही बल्कि पशु भी प्रभावित होते है और आपदाओं की स्थिति में मानव के साथ–साथ पशु संसाधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि की आपदाओं को घटित होने से रोका तो नही जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशु चिकित्सकों का कौशल विकास कर तथा आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित पबंधन किया जा सकता है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के मद्देनजर ''आपात स्थिति में पशु प्रबंधन'' (Management of Animals in Emergencies) विषय पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पशु चिकित्सकों के चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार भेटनरी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में तथा World Animal Protection (WAP) और Policy Perspectives Foundation (PPF) के सहयोग से बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (1–7 जून, 2018) में दिनांक 04 जून से आरम्भ किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बहु–आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में किस तरह से पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन किया जाय।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षु पशु चिकित्सकों के उपयोग हेतु एक हस्तपुस्तिका तैयार किया गया है जो उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिया जा रहा है। प्रशिक्षण हेतु तैयार किया गये कैलेण्डर के अनुसार प्रत्येक बैच में कुल 35 पशु चिकित्सक भाग लेंगे। जून माह तक कुल 4 बच का प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नुसार आयोजित किया है:–

बैच संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	4–7 जून, 2018	35
2	15–18 जून, 2018	35
3	20–23 जून, 2018	35
4	27–30 जून, 2018	35
	कुल	**140**

(L) विभिन्न आपदाओं से सुरक्षा हेतु जन–जागरूकता एवं मॉकड्रिल

प्राधिकरण द्वारा दिनांकः–24–06–2018 को पटना के एक अपार्टमेंट एमविसन्स त्रिवेणी तथा पी0 एन0 एग्लो संस्कृत स्कुल, नया टोला, पटना में भूकंप एवं अग्नि से बचाव पर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया।

इस अपार्टमेंट के करीब दौ सौ अधिवासी भूकंप एवं अग्नि सुरक्षा के मॉकड्रिल में सम्मिलित हुए। भूकंप सुरक्षा मॉकड्रिल का संचालन एन0 डी0 आर0 एफ0 द्वारा किया गया। इसी प्रकार से अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल का संचालन बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा किया गया।

जन जागरूकता एवं मॉकड्रिल के माध्यम से आपदाओं से बचाव हेतु विभिन्न जिलों में किए जाने वाले कार्यक्रम हेतु प्राधिकरण द्वारा अवधारणा पत्र विकसित किया जा रहा है।

(M) Mass Messaging/Whatsapp Advisory

जून माह में प्राधिकरण द्वारा ठनका से बचने के उपाय, ठनका पर लगभग छः लाख विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, पंचों, वार्ड सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों, आशा कर्मचारियों– 87 हजार, जीविका दीदी 1,47,000 (एक लाख सैतालीस हजार), शिक्षकों– 605, इंजिनियर–786, जिला पदाधिकारी–38, अपर समाहर्त्ता–38, अंचलाधिकारी–534 आदि लोगों को Mass Messaging के द्वारा जागरूक करने की कोशिश की गई जिससे किसी भी आपदा के वक्त अधिक से अधिक जान बचाये जा सके।

ठनका

जनहित में जारी

आसमान में बिजली के चमकने/गरजने/कड़कने के समयः

यदि आप खुले में हों तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।

जहाँ हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सुखी चीजे जैसेः– लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।

बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें।

उचे पेड़ के नीचे न खड़े हों।

समूह में न खड़े हों।

रेडियों और टी0 वी0 पर मौसम के साफ होने का

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(N) अखबारों में प्रकाशित Advisory

प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर तथा विभिन्न **Safety weeks** के दौरान जन–जागरूकता के लिए **Advisory** अखबारों में प्रकाशित की जाती है जिससे कि लोग आपदाओं से सचेत एवं सतर्क रह सकें।

जून 2018 में प्राधिकरण द्वारा जारी Advisory निम्नानुसार है:

अनु0–I

शहरी क्षेत्र में बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण की समेकित कार्य–योजना निम्नानुसार हैं–

1. सभी हितभागियों को शामिल करते हुये राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के माध्यम से शहरी क्षेत्र में बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण को संस्थागत बनाया जाएगा।

2. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरों के सभी जलमार्ग (प्राकृतिक एवं निर्मित) बाधा मुक्त हों एवं उनकी जल ग्रहण क्षमता पूर्ववत बनी रहे। इसके लिए नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया जाएगा ताकि जल मार्गों का अतिक्रमण न हो एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा जल मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के स्थायी उपाय किए जाएंगे।

3. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरी कचरे जल मार्गों में बाधा न बने, उनके सुरक्षित निपटान के लिए स्थायी एवं परिस्थिकीय के अनुकूल सुदृढ़ योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन हो।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मानसून के पूर्व शहरी क्षेत्र के सभी जलमार्गध्जलनिकास कचरा व किसी भी प्रकार की (स्थायी व अस्थायी) बाधा से मुक्त हो जिसके लिए अभियान मोड में कार्यक्रम किए जाएंगे।

5. मानसून के पूर्व मौसम पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी तंत्र निर्बाध रूप से सक्रिय रहे तथा सूचनाएँ ससमय सभी संबन्धित तक पहुचने के साथ–साथ सभी शहरी निवासियों तक सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यमों से पहुँचती रहे।

6. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जन–मानस का आवागमन बाधित न हो इसके लिए सभी सड़क मार्गों को बाधा रहित रखते हुये जल मार्गों, वायु मार्गों व रेल मार्गों से भी (अति वष्टि एवं जल–जमाव की दशा में) परिवहन की तैयारी पूरी रहे तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि वायु सेवाओं का किराया पूर्व अनुबंध के आधार पर ही निर्धारित रहे। भारत सरकार को इसके लिए संस्तुति की जाएगी।

7. विशेष कार्य योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संबन्धित आकस्मिक सेवाएँ जैसे प्राथमिक उपचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवहन, पेयजल एवं

स्वछता, बिजली, आदि सभी मौसम पूर्वानुमान के आधार पर अहर्निश सेवाएँ देने के लिए तत्पर रहें।

8. नगर निकायों के सभी स्तर पर सभी संबन्धित विभागों, निकायों, अभिकरणों, केंद्रीय अभिकरणों एवं गैर–सरकारी संस्थाओं, के बीच समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से पूर्व समीक्षा एवं अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया जायेगा एवं उनकी भूमिका सुनिश्चित की जायेगी। आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के मूल्य वृद्धि एवं जमाखोरी आदि पर निगरानी रखी जाएगी।

9. सामुदायिक कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं को समाहित करते हुये समवेशी एवं सहभागी प्रक्रियाओं के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबन्धित सभी शहरी निकायों की वार्ड स्तर पर कार्य योजनाएँ तैयार की जाएँगी। इन योजनाओं में प्रासंगिक विशिष्टिया एवं सामाजिक समूहों के विविध आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा।

10. बाढ़ आपदा से शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों एवं मानव संसाधनों की व्यवस्था की जायेगी।

11. तकनीकी संस्थानों एवं विज्ञान का समुचित उपयोग किया जाएगा जो कि मुबई, सूरत, बेंगलुरु तथा चेन्नई में आरंभ किया गया है।

12. जोखिम को कम करने अथवा साझा करने के लिए वैकल्पिक श्रोतों का समावेश किया जाएगा जैसे बीमा कार्यक्रमों का नियोजन जिससे वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इन्ही 12 प्रतिबद्धताओं के माध्यम से शहरी क्षत्र की बाढ़ आपदा से निपटने की विस्तृत एवं सूक्ष्म स्तर पर कार्य योजना का निरूपण कर लागू किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबद्धताएँ मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में काम करेंगी तथा सरकार के प्रशासनिक तंत्र के द्वारा बहुहितभागी सहभागिता एवं सहयोग जिसमे मीडिया, गैर–सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र एवं शिक्षाविद शामिल होंगे। क्षमता वर्धन, ज्ञान प्रबंधन एवं जन जागरूकता के कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश कर आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जायेगा।

यह घोषणा पत्र दिनांक 1 जून 2018 को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह–2018 के प्रथम दिवस सभी संबन्धित हितधारकों की सहमति से जारी किया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

अनु0–II

पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु पटना घोषणा पत्र

पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन की समेकित कार्य–योजना निम्नानुसार हैं–

1. सभी हितभागियों को शामिल करते हुये राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को संस्थागत बनाया जाएगा।
   Including all the stakeholders the state wide awareness campaign for the conservation and management of traditional water bodies should be institutionalized

2. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पारंपरिक जल निकाय अतिक्रमण मुक्त हों एवं उनकी जल ग्रहण क्षमता पूर्ववत बनी रहे। इसके लिए नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन पर ज़ोर दिया जाएगा ताकि पारंपरिक जल निकायों का अतिक्रमण न हो एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा पारंपरिक जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त करने के स्थायी उपाय किए जाएंगे।
   It should be insured that there is no encre

3. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कूड़ा–कचरा पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण में बाधा न बने, उनके सुरक्षित निपटान के लिए स्थायी एवं परिस्थिकीय के अनुकूल सुदृढ़ योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन हो।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पारंपरिक जल निकायों के क्षेत्रफल में किसी तरह का बदलाव या फेर–बदल न किया जाय और न ही उसके जल ग्रहण क्षमता में कमी आने दी जाय, इसके लिए विभिन्न सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत उसका जीर्णोद्धार कराया जायेगा।

5. प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चयनित पारंपरिक जल निकायों का सुंदरीकरण कर उसको भ्रमण करने योग्य स्थल के रूप मे विकसित किया जायेगा तथा उसमे वर्ष भर जल संचित रहे इसके लिए तकनीकी स्तर पर एवं भौतिक स्तर पर प्रयास किया जायेगा।

6. विशेष कार्य योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी नए सरकारी भवन के निर्माण में वर्षा जल संचयन की तकनीकी का समावेश हो एवं जन–मानस को भी इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित किया जायेगा।

7. ग्राम पंचायत, नगर निकायों एवं जिले तथा नगर निगमों के स्तर पर सभी संबन्धित विभागों, निकायों, अभिकरणों, केंद्रीय अभिकरणों एवं गैर–सरकारी संस्थाओं, के बीच

समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से पूर्व समीक्षा एवं अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया जायेगा एवं उनकी भूमिका सुनिश्चित की जायेगी तथा बहुहितभागी सतर्कता व अनुश्रवण समूह का भी गठन किया जायेगा।

8. सामुदायिक कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं को समाहित करते हुये समावेशी एवं सहभागी प्रक्रियाओं के माध्यम से पारंपरिक जल निकायों को अक्षुण्य व जीवंत बनाए रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर कार्य योजनाएँ तैयार की जाएँगी। इन योजनाओं में पारिस्थिकी जैव–विविधता पर भी ध्यान दिया जायेगा।

9. पारंपरिक जल निकायों को संरक्षित एवं सुप्रबंधित करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों प्रावधानों की व्यवस्था की जायेगी।

10. तकनीकी संस्थानों एवं विज्ञान का समुचित उपयोग कर सभी पारंपरिक जल निकायों की geo tagging करायी जाएगी। जिससे उसकी पहचान GIS मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सके तथा जल संचयन एवं संरक्षण में तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

इन्ही 10 प्रतिबद्धताओं के माध्यम से पारंपरिक जल निकायों के संरक्षण एवं प्रबंधन विस्तृत एवं सूक्ष्म स्तर पर कार्य योजना का निरूपण कर लागू किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबद्धताएँ मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में काम करेंगी तथा सरकार के प्रशासनिक तंत्र के द्वारा बहुहितभागी सहभागिता एवं सहयोग जिसमे मीडिया, गैर–सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र एवं शिक्षाविद शामिल होंगे। क्षमता वर्धन, ज्ञान प्रबंधन एवं जन जागरूकता के कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश कर आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जायेगा।

यह घोषणा पत्र दिनांक 5 जून 2018 को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह–2018 के पंचम दिवस पर सभी संबन्धित हितधारकों की सहमति से जारी किया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

अनु0–III

सामाजिक क्षेत्र की सेवा–पोषण कार्यक्रम का आपदाओं के दौरान निर्बाध संचालन के लिये पूर्व तैयारी एवं प्रबंधन हेतु – पटना घोषणा पत्र

आज दिनांक 7 जून, 2018 को सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं का आपदा आकस्मिकता के लिए पूर्व तैयारी एवं प्रबंधन विषय की कार्यशाला भाग ले रहे प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आलोक में पोषण के क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की वृहत कार्ययोजना के अंतर्गत समेकित कार्य–योजना को इस घोषणा पत्र के माध्यम से अंगीकार किया जाता है। इसमें 10 प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं जिन्हे अभी से लेकर वर्ष 2022 तक की अवधि के बीच हासिल किया जाएगा। पोषण के क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की समेकित कार्य–योजना निम्नानुसार हैं–

1. राज्य सरकार के सभी संबन्धित विभागों एवं अन्य हितभागियों को शामिल करते हुये राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कुपोषण एवं एनीमिया से होने वाले खतरों एवं एनेमिक तथा कुपोषित बच्चों पर आपदाओं के कुप्रभाओं को कम करने के प्रयासों, व्यवस्थाओं, ज्ञान एवं जानकारियों को प्रचारित एवं प्रसारित कर लोगों को जागरूक बनाया जाएगा ताकि पोषण के समुचित तरीकों को अपनाकर राज्य को कुपोषण मुक्त बनाया जा सके।

2. बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–2030 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों/अस्पतालों के भवन को चरणबद्ध रूप से रेट्रोफिटिंग के माध्यम से आपदारोधी बनाया जायेगा एवं भविष्य में निर्मित होने वाले सभी भवन आपदारोधी तकनीक से ही बनाये जायेंगे। साथ ही चापाकल, हर घर नल जल के अंतर्गत स्थापित पेयजल संयंत्रों एवं शौचालयों को भी आपदा रोधी बनाया जायेगा।

3. सभी कुपोषित एवं अति कुपोषित (MAM & SAM) बच्चों की पहचान कर आपदा पूर्व तैयारी के क्रम में उनकी सूची तैयार कर ली जाएगी ताकि आपदा के दौरान उन पर विशेष निगरानी रखी जा सके तथा उनको कुपोषण से होने वाले खतरों से बचाने का प्रबंध किया जा सके।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक आगनवाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं/स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संवेदनशील की सूची संभावित प्रसव तिथि के साथ तैयार की जाये एवं आपदा के दौरान उनके सुरक्षित प्रसव हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर सभी संभव प्रबंध एवं व्यवस्था की जाये।

5. आपदा के दौरान राहत शिविरों में पेयजल की सुविधा तथा स्वच्छता हेतु शौचालय एवं अन्य व्यवस्थाओं के साथ आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्र/Maternity Hut

स्थापित किये जायेंगे ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य/मातृत्व सेवायें सभी संबन्धित को प्राप्त होती रहें साथ ही आपदा राहत शिविरों में बच्चों के लिए दूध एवं पौष्टिक आहार की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

6. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपदा राहत शिविरों में धात्री माताओं के लिए बच्चों को स्तनपान कराने के लिए विशेष सुरक्षित जगह की व्यवस्था की जाये जिससे नवजात बच्चों को स्तनपान कराने में सुविधा हो। साथ ही धात्री माताओं के लिए पौष्टिक आहार की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

7. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सामाजिक सेवयँ बाधित न हों तथा सभी विशेष आवश्यकता वाले जनो के लिए सुलभ व पहुँच योग्य हो।

8. बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 में वर्णित सुरक्षित बुनियादी सेवाओं, जैसे पोषण, पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने के लिए के लिए ग्राम स्तर पर कार्य योजना का निरूपण मानक संचालन प्रक्रिया के रूप में किया जायेगा।

9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल आदि सभी सामाजिक सेवाओं की delivery में अभिसरण स्थापित किया जायेगा इसके लिए माइक्रोप्लानिंग की प्रक्रिया द्वारा कार्य योजना का निरूपण किया जायेगा जिससे आपदाओं की पूर्व तैयारी, आपदाओं के दौरान राहत व बचाव के कार्यों एवं आपदाओं के पश्चात पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्यों में सभी बुनियादी सेवाएँ समेकित रूप से कार्यरत रहें।

10. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामाजिक क्षेत्र से संबन्धित विभागों को आपदा के पूर्व की तैयारी आपदाओं के शमन एवं रिसपोंसके लिए वित्तीय संसाधनों का अभाव न हो।

इन्हीं 10 प्रतिबद्धताओं के माध्यम से पोषण के क्षेत्र में विशेषकर समाज के वंचित एवं कमजोर समुदाय वर्ग के लिए विस्तृत एवं सूक्ष्म स्तर पर कार्य योजना का निरूपण कर लागू किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबद्धताएँ मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में काम करेंगी तथा सरकार के प्रशासनिक तंत्र के द्वारा बहुहितभागी सहभागिता एवं सहयोग जिसमे मीडिया, गैर–सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे। क्षमता वर्धन, ज्ञान प्रबंधन एवं जन जागरूकता के कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश कर आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जायेगा।

यह घोषणा पत्र दिनांक 7 जून 2018 को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह–2018 के समापन दिवस पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी पूर्व तैयारियों पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित पर सभी संबन्धित हितधारकों की सहमति से जारी किया गया।